कार्यालयः सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक : उ0वि0शि0प0 / यू0टी0ई0टी0 2018 / 387-90 / 2018–19 दिनांक 02 नवम्बर, 2018 ।

उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय (UTET-I & II) 2018
अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण / अनर्ह अभ्यर्थियों के संबंध में निर्देश

::

परिषद् द्वारा **प्रसारित विज्ञप्ति संख्या : उ0वि0शि0प0 / यू0टी0ई0टी0 2018 – विज्ञप्ति / 02 / 2018–19 दिनांक 30 अगस्त 2018 के क्रम में** उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय **(UTET-I & II) 2018** हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा इस परीक्षा हेतु भरे गए आवेदनपत्र **(OMR)** की स्केनिंग कर उसके आधार पर प्राप्त **प्राप्त त्रुटिपूर्ण / अपूर्ण अथवा निर्धारित शैक्षिक / प्रशिक्षण अर्हता पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों की सूची / सूचियां अंतिम रूप से अभ्यर्थन निरस्त करने से पूर्व अभ्यर्थियों को त्रुटियों / कमियों कों दूर करने / सुधार करने का एक अवसर प्रदान करने के दृष्टिगत** परिषद की वेबसाइट **www.ubse.uk.gov.in में DEPARTMENTAL EXAM/UTET लिंक पर प्रसारित की जा रही है।**

यदि किसी अभ्यर्थी / आवेदक को परिषद् द्वारा जारी की गई उक्त **सूची / सूचियों** पर कोई आपत्ति हो या वे अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हों, तो वे **दिनांक 14 नवम्बर 2018, सांय 5:00 बजे तक स्वंय उपस्थित होकर अथवा परिषद् की ई–मेल secyutet@gmail.com** पर साक्ष्यों सहित अपना **पक्ष / प्रत्यावेदन संलग्न प्रारूप पर प्रस्तुत कर सकते हैं।** अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्यावेदन देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित अर्हता पूरी करते हों। अर्हता के संबंध में विस्तृत निर्देश उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा – प्रथम एवं द्वितीय 2018 की विवरणिका पुस्तिका में दिए गए हैं। अभ्यर्थियों के सुलभ संदर्भ हेतु अर्हता संबंधी एन0सी0टी0ई0 के मानक भी परिषद् की वेबसाइट में दिए गए है। **त्रुटियों / कमियों को दूर करने / सुधारने हेतु दोनों परीक्षाओं हेतु पृथक–पृथक विस्तृत निर्देश संलग्न हैं।**

प्रत्यावेदन में अभ्यर्थी अपने आवेदनपत्र **(OMR)** का क्रमांक अनिवार्यतः अंकित करेंगे, अन्यथा प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। **प्रत्यावेदन देने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा समयान्तर्गत प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा किये बिना यथाशीघ्र प्रत्यावेदन (साक्ष्यों सहित) उपलब्ध करा दें।**

प्रत्यावेदन निस्तारण के बाद समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र माह दिसम्बर 2018 प्रथम सप्ताह में परिषद की वेबसाइट **www.ubse.uk.gov.in में DEPARTMENTAL EXAM/UTET लिंक पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।** डाक द्वारा प्रवेश–पत्र प्रेषित नहीं किये जाएंगे। परीक्षा हेतु अर्ह समस्त अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। प्रवेशपत्र आवेदनपत्र **(OMR)** क्रमांक **अथवा** अभ्यर्थी अपने नाम एवं जन्मतिथि अंकित कर डाउनलोड करेंगे।

संलग्नक : उक्तवत सूचियां, निर्देश एवं प्रत्यावेदन का प्रारूप ।

2/11/18

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर, नैनीताल।

उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय (UTET-I & II) 2018

1. **अध्यापक पात्रता परीक्षा – प्रथम एवं द्वितीय (UTET- I & II) 2018 से संबंधित अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/अनर्ह अभ्यर्थियों सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम अंकित है वे उनके लिए विस्तृत निर्देश निम्नवत हैं :–**

- जिन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"अपूर्ण आवेदन पत्र"** का उल्लेख किया गया है, **वे निर्धारित तिथि तक किसी भी कार्य दिवस में स्वंय परिषद् कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आवेदन पत्र पूर्ण कर लें।** परीक्षा हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"परीक्षा कोड अंकित नहीं"** का उल्लेख किया गया है, उन अभ्यर्थियों द्वारा **लिखित आवेदन** कि, वे कौन सी एक परीक्षा (यू0टी0ई0टी0 प्रथम अथवा द्वितीय) में सम्मिलित होना चाहते है, के आधार पर अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"कम मूल्य के आवेदन पत्र पर आवेदन"** का उल्लेख किया गया है, उन अभ्यर्थियों द्वारा **अनु0जाति/अनु0जन जाति या विकलांगता का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र** उपलब्ध कराने पर, अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आवेदन पत्र/परीक्षा शुल्क रु0 600.00 अथवा रु0 1000.00 देय था।
- जिन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"शुल्क केवल एक परीक्षा हेतु किन्तु 2 परीक्षाओं हेतु आवेदन"** का उल्लेख किया गया है, उन अभ्यर्थियों द्वारा **लिखित आवेदन** कि, वे कौन सी एक परीक्षा (यू0टी0ई0टी0 प्रथम अथवा द्वितीय) में सम्मिलित होना चाहते है, के आधार पर अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

2. **यू0टी0ई0टी0 – प्रथम (UTET-I) 2018 परीक्षा हेतु :–**

अध्यापक पात्रता परीक्षा – प्रथम (UTET- I) 2018 से संबंधित अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/अनर्ह अभ्यर्थियों सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम अंकित है वे उनके लिए विस्तृत निर्देश निम्नवत हैं–

- जिन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"प्रशिक्षण योग्यता/वर्ष अंकित नहीं/त्रुटिपूर्ण अंकित है "** का उल्लेख किया गया है, उन अभ्यर्थियों द्वारा **प्रशिक्षण योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र** उपलब्ध कराने पर अभ्यर्थन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन बी0टी0सी0 (**1**)/डी0एल0एड0 (**2**) योग्यताधारी अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"इण्टर स्तर पर कम अंक प्रतिशत / स्नातक/प्रशिक्षण वर्ष अंकित नहीं/त्रुटिपूर्ण है"** का उल्लेख किया गया है, यदि उनका इण्टर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत 50 से अधिक है अथवा उनके द्वारा स्नातक योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण योग्यता अर्जित की गई है, तो उनके द्वारा तत संबंधी **परीक्षा (इंटर, स्नातक एवं प्रशिक्षण) का अंतिम वर्ष का अंक पत्र** उपलब्ध कराने पर अभ्यर्थन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन बी0एल0एड0 (**3**)/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) (**4**) योग्यताधारी अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"इण्टर स्तर पर कम अंक प्रतिशत"** का उल्लेख किया गया है, यदि उनका इण्टर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत 50 से अधिक है तो उनके द्वारा **इण्टर परीक्षा का अंक पत्र** उपलब्ध कराने पर, अभ्यर्थन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन बी0एड0 (**5**) योग्यताधारी अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"स्नातक स्तर पर कम अंक प्रतिशत "** का उल्लेख किया गया है, यदि उनका स्नातक स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत 50 से

अधिक है तो उनके द्वारा **स्नातक परीक्षा का अंतिम वर्ष का अंक पत्र** उपलब्ध कराने पर, अभ्यर्थन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

3. यू0टी0ई0टी0 – द्वितीय (UTET-II) 2018 परीक्षा हेतु :–

अध्यापक पात्रता परीक्षा – द्वितीय (UTET- II) 2018 से संबंधित अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/अनर्ह अभ्यर्थियों सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम अंकित है वे उनके लिए विस्तृत निर्देश निम्नवत हैं–

- जिन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"प्रशिक्षण योग्यता/वर्ष अंकित नहीं/त्रुटिपूर्ण अंकित है "** का उल्लेख किया गया है, उन अभ्यर्थियों द्वारा **प्रशिक्षण योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र** उपलब्ध कराने पर, अभ्यर्थन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन बी0टी0सी0 (**1**) अथवा डी0एल0एड0 (**2**) योग्यताधारी अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"स्नातक का वर्ष/प्रशिक्षण का वर्ष अंकित नहीं त्रुटिपूर्ण अंकित"** का उल्लेख किया गया है, यदि उनकी प्रशिक्षण योग्यता स्नातक योग्यता के बाद की होने पर उनके द्वारा **स्नातक एवं प्रशिक्षण परीक्षा अंतिम वर्ष का अंक पत्र** उपलब्ध कराने पर, अभ्यर्थन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन बी0एल0एड0 (**3**) अथवा बी0ए0/बी0एस0सी0एड0 (**8**) अथवा बी0ए0एड0/बी0एस0सी0एड0 (**9**) योग्यताधारी अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"इण्टर स्तर पर कम अंक प्रतिशत"** का उल्लेख किया गया है, यदि उनका इण्टर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत 50 से अधिक है तो उनके द्वारा **इण्टर परीक्षा का अंक पत्र** उपलब्ध कराने पर, अभ्यर्थन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन बी0एड0 (विशेष शिक्षा) (**5**) योग्यताधारी अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख **"स्नातक स्तर पर कम अंक प्रतिशत"** का उल्लेख किया गया है, यदि उनका स्नातक स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत 50 से अधिक है तो उनके द्वारा **स्नातक परीक्षा अंतिम वर्ष का अंक पत्र** उपलब्ध कराने पर, अभ्यर्थन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- जिन बी0एड0 (**4**), एल0टी0 (**6**), शिक्षा शास्त्री (केवल संस्थागत) (**7**) योग्यताधारी अभ्यर्थियों के नाम के नाम के सम्मुख **" कम अंक प्रतिशत /अंकित नहीं/परीक्षा वर्ष अंकित नहीं"** आदि का उल्लेख किया गया है, उनके द्वारा **स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा अंतिम वर्ष एवं प्रशिक्षण परीक्षा का अंक पत्र** उपलब्ध कराने पर, अभ्यर्थन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने की दशा में ही उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

  विज्ञ हों कि वर्ष 2007 से अध्यावधि तक स्नातकोत्तर आधार पर बी0एड0/एल0टी0/ शिक्षा शास्त्री योग्यताधारी आवेदकों को स्नातकोत्तर योग्यता का लाभ उसी स्थिति में देय होगा जब कि उनके द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण योग्यता अर्जित की गई हो।

  आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत की छूट देय होगी।

4. मा0 न्यायालयी प्रकरण हेतु :–

यदि किसी आवेदक को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गयी है तो उनके द्वारा परीक्षा में बैठने की अनुमति सम्बन्धी मा0 न्यायालय के आदेश की प्रति उपलब्ध करायी जानी होगी।

सचिव 2/11/18

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद

रामनगर, नैनीताल।

उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय (UTET-I & II) 2018

प्रत्यावेदन प्रपत्र

1. OMR आवेदन पत्र क्रमांक :–

2. परीक्षा का नाम जिसके लिये आवेदन किया :–

3. आवेदक का नाम :–

4. पिता का नाम :–

5. जाति :–

6. आवेदन पत्र में परिषद् द्वारा अंकित कमी/त्रुटि का विवरण:–

7. आवेदक की प्रशिक्षण योग्यता का विवरण:–

प्रशिक्षण योग्यता का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष

(प्रशिक्षण योग्यता के अंक पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।)

8. आवेदक की शिक्षण योग्यता का विवरण :

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांकों का विवरण			अभ्युक्ति
		पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक %	
इण्टर					
स्नातक					
स्नातकोत्तर					

(इण्टर, स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षा के अंतिम वर्ष के अंक पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।)

9. अन्य विवरण :–

आवेदक के हस्ताक्षर :–
आवेदक का नाम :–
दिनांक :–

नोट : 1. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. परिषद् द्वारा अंकित कमी/त्रुटि के निराकरण हेतु सम्बन्धित साक्ष्य ही अनिवार्यतः संलग्न करें अन्यथा प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।